राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 564/2023

वंदना रत्नू **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर जोन, जयपुर।
4. सुरेन्द्र दीक्षित, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोकुलपुरा, झोटवाडा, जयपुर में पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2023
आदेश की दिनांक : 03.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोकुलपुरा, झोटवाडा, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से रामकरणपुरा, कोटपूतली, जयपुर किया गया है, जो वर्तमान पदस्थापन स्थान से 120 कि.मी. दूर है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को उसके स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी की सास जो किडनी जैसी असाध्य बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित है, जो पेज नं. 15 से 20 से प्रकट होता है, फिर भी अपीलार्थी की उक्त परेशानी को

नजरअंदाज करते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड द्वितीय संस्कृत के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोकुलपुरा, झोटवाडा, जयपुर में कार्यरत है। मामले में अपीलार्थी की वर्तमान परिस्थितियों एवं गंभीर बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य